न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1513/2026

विशाल आयु लगभग 20 साल पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम भोजपुर मजरे डल्लू खेड़ा, थाना सतरिख, जिला बाराबंकी।

————— प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार – विपक्षी।

अपराध सं–127/2026
धारा–137(2),87,351(3) बीएनएस
थाना–सतरिख,
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	श्री विजय वर्मा
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) बाराबंकी ।
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	27.05.2026
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	01.06.2026

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी शासकीय अधिवक्ता(फौ0) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 02.03.2026 को वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री को विशाल बहला फुसलाकर भगा ले गया था लोकलाज के कारण सुलह कर ली थी परन्तु विशाल अपने मोबाईल से वादिनी के घर के कई नंबरों पर फोन करके परेशान करता था और जान से मारने की ध ामकी देता था, जिससे उसकी पुत्री परेशान रहती है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का जो मोबाईल नंबर बताया गया है वह दिनांक 10.03.2026 से पूर्णतया बंद है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर नहीं भगाया गया है न ही व्यपहृत किया गया है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। अभियुक्त द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के पूर्व वादिनी के पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाया गया था परन्तु वादिनी ने जब लोकलाज के कारण अभियुक्त से सुलह कर ली, परन्तु अभियुक्त उसके उपरांत

भी निरन्तर फोन करके जान माल की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने विवेचक व न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित घटना के पूर्व आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी के पुत्री जो अवयस्क है,को बहला फुसलाकर ले जाया गया था। वादिनी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता की जन्मतिथि 24.03.2009 है। पीड़िता द्वारा विवेचक को दिये गये बयान व न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त विशाल उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–01.06.2026

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
UP1899